न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 30/25

GCMS NO 2025/56

1. चतरू पुत्र मिश्रा
2. दीपक पुत्र पील्लू
3. कमला बेवा पील्लू
4. हंसराज पुत्र रामजीलाल जातियान गुर्जर निवासीयान सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी

अपीलांट

बनाम

1. गिरधारी पुत्र सोन्या
2. द्वारका पुत्र सोन्या जातियान गुर्जर निवासीयान सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. कान्जी पुत्र जौहरी
4. मुरारीलाल पुत्र जौहरी
5. कन्हैया लाल पुत्र जौहरी
6. राधाकिशन पुत्र जौहरी जातियान माली निवासीयान सलारपुर तहसील गंगापुर सिटी
7. मूर्ति मंदिर श्री महादेव जी विराजमान धुन्धेश्वर जरिये संरक्षक पुजारी जुगल किशोर व्यास पुत्र घासीलाल व्यास जाति ब्राहम्ण निवासी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
8. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 94/24 निर्णय व डिकी दिनांक 17.2.25 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री मोहम्मद इस्लाम

अभिभाषक रैस्पो0 श्री बृजनन्दन दीक्षित

दिनांक 04.09.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 17.2.25 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांट संख्या 1 ता 3 द्वारा दावा इस्तकरारहक तेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम सलारपुर में मंदिर श्री धुन्धेश्वर जी महाराज की खातेदारी भूमि सम्वत 2008 ख0न0 155 रकबा 2 बीघा 7 विस्वा, 156 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा, 157 रकबा 3 बीघा 16 विस्वा जिसके एकीकरण सवंत 2018 ... को मिलाकर एकीकरण ख0न0 75 रकबा 3 बीघा 5 विस्वा, साबिक ख0न0 152 ... 155 ... को मिलाकर एकीकरण ख0न0 76 रकबा 5 बीघा 16 विस्वा कायम किये है ... को मिलाकर एकीकरण ख0न0 74 रकबा 3 बीघा कायम किये है तथा ख0न0 158 व 159/2 व 160 को मिलाकर एकीकरण ख0न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

78 रकबा 3 बीघा 18 विस्वा कायम किये गये। उक्त भूमि कभी मंदिर श्री महादेवजी महाराज की खुदकाश्त नही रही है उक्त भूमि पर खुदकाश्त संवंत 2003 मे भौरया बल्द हरदयाल जाति गुर्जर जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बाबा थे की रही है तथा जमाबंदी के कॉलम संख्या 4 मे खातेदार के रूप मे भौरया बल्द हरदयाल का नाम दर्ज रहा है। सवंत 2008 ख0न0 151 पर जमाबंदी के कॉलम संख्या 4 मे खातेदार श्योनारायण ,हरनारायण पुत्रान गंगोल्या व मिश्रा व सोन्या पिसरान भौरया दर्ज है। तथा सवंत 2008 के ख0न0 153 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा पर भी जमाबंदी के कॉलम संख्या 4 मे खातेदार का नाम मिश्रा व सोन्या पिसरान भौरया जाति गुर्जर दर्ज है। इस प्रकार खुदकाश्त उक्त भूमि पर मंदिर की नही रही है। खुदकाश्त वादीगण के पूर्वज व उनके मरने के बाद वादीगण की रही है। एकीकरण ख0न0 75 के वर्तमान सेटलमेंट मे नये नम्बर 107 रकबा 0.11 है0 तथा साबिक ख0न0 74 के नये नम्बर 155 रकबा 0.02 है0 तथा 74 व 75 से मिलकर बने ख0न0 156 रकबा 0.46 है0 व 174 से बने हाल ख0न0 157 रकबा 0.43 है0 तथा 75 हाल ख0न0 158 रकबा 0.39 है0 एवं 75 से नया नम्बर 1591/889 रकबा 0.04 है0 एवं 154/890 रकबा 0.22 है0 कायम किये है। रकबा 0.39 है0 एवं 75 से नया नम्बर 159/889 रकबा 0.04 है0 एवं 154/1890 रकबा 0.22 है0 कायम किये है। सवंत 2012 मे जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1958 के तहत उक्त भूमि को खालसा दर्ज कर दिया तथा मंदिर के भोग विलास एवं अन्य खर्चो के लिए राज्य सरकार द्वारा एन्यूटी जारी कर दी गई। तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत वादीगण के पूर्वज सोन्या व मिश्रा की भूमि पर 2008 से पूर्व खुदकाश्त होने के आधार पर भूमि ख0न0 76 रकबा 5 बीघा 16 विस्वा तथा 75 रकबा 3 बीघा 15 विस्वा का उन्हे खातेदार दर्ज कर दिया तथा जमाबंदी एकीकरण सवंत 2020 से 2023 जमाबंदी के कॉलम संख्या 5 मे खातेदारी इन्द्राज वादीगण के पूर्वजो के हक मे कर दिये गये तथा जमाबंदी के कॉलम न0 4 मे माफी मंदिर महादेव जी के बजाय राज्य सरकार दर्ज कर दिया। भूमि को जब खालसा दर्ज कर दिया, खालसा दर्ज होने के बाद मंदिर का भूमि से किसी प्रकार का कोई सबंध नही रहा है लेकिन सेटलमेंट विभाग वालो ने बिना वादीगण के पूर्वजो की जानकारी भूमि को वापिस मंदिर के नाम दर्ज कर दिया जबकि वादीगण की खातेदारी भूमि को सेटलमेट विभाग वालो को मंदिर के नाम दर्ज करने का कोई अधिकार नही था। राजस्थान सरकार द्वारा भी मंदिर की भूमियो के संबंध मे सन 2007,2010 व 2011 मे सर्कुलर जारी किये है जिनमे भी राजस्थान सरकार द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश रेवेन्यू अधिकारियो को दिये है कि यदि सेटलमेंट विभाग द्वारा मंदिर की भूमि मे जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत दिये गये खातेदारी अधिकारो को मंदिर के नाम दर्ज कर दिया है तो उसे वापिस खातेदार के नाम दर्ज किया जावे। माफी भूमि जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के तहत यदि खालसा दर्ज कर दी तथा 1952 की धारा 9 के तहत मंदिर के अलावा मंदिर की भूमि जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम लागू होने के समय खुदकाश्त यदि मंदिर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज है तथा उन्हे खातेदारी अधिकार दिये गये थे लेकिन दौराने सेटलमेंट सेटलमेट विभाग वालो ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के भूमि को मंदिर के नाम दर्ज कर दिया है तो ऐसी स्थिति मे यह तथ्य रेवन्यू अधिकारियो की जानकारी मे आये तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Bajpai
Date: 2026.04.16 15:34:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

रेवेन्यू अधिकारियो को स्वयं ही कार्यवाही कर भूमि को पुनः उस व्यक्ति के नाम खातेदारी दर्ज कर देनी चाहिए जिसे जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 क तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। सेटलमेंट द्वारा किये गये उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर लैण्ड होल्डर व पुजारी संरक्षक मंदिर वादीगण को भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। वादीगण को सेटलेंट के उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी पहले कभी नही थी वादीगण को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी प्रतिवादी कान्जी द्वारा बताने पर हुई। जब राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की जाकर दावा पेश करना आवश्यक हुआ। अतः वादी का वाद पत्र इस अमर का डिक्री फरमाया जावे कि ग्राम सलेमपुर की भूमि हाल ख0न0 155 रकबा 0.02 है0, 156 रकबा 0.46 है0, 157 रकबा 0.43 है0, 158 रकबा 0.39 है0, 159/889 रकबा 0.04 है0, 154/890 रकबा 0.22 है0 को मंदिर श्री महादेवजी महाराज विराजमान धुन्धेश्वर के नाम से हजफ कर उक्त भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को हिस्सा 1/2 का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण द्वारा चाही गई।

अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी संख्या 8 मंदिर मूर्ति श्री महोदवजी महाराज विराजमान धूधेश्वर जरिये संरक्षक पुजारी जुगलकिशोर व्यास पुत्र घासीलाल ब्राहम्ण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को पेश कर वादीगण का वाद पत्र खारिज करने की प्रार्थना की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेसपो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागणो की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत ने दावे को रेसज्यूडिकेटा से बाधित होना मानकर दावा खारिज करने मे कानूनी भूल की है। जबकि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के आधार पर दावा 11 सीपीसी के तहत खारिज नही किया जा सकता है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कतई गौर नही किया कि पूर्व दावा मूर्ति मंदिर बनाम मिश्रा वगै0 दावा बेदखली का था जबकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया यह दावा इस्तकरारहक खातेदारी,दुरूस्त इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमे बेदखली की कोई रिलीफ भी नही चाही गई है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने दावे को रेसज्यूडिकेटा से बाधित होना मानकर खारिज करने मे कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि मूर्ति मंदिर बनाम मिश्रा मे मिश्रा की मृत्यु उपरान्त मिश्रा के वारिसान को पक्षकारा नही बनाया था तथा मिश्रा के वारिसान की गैरहाजिरी मे मूर्ति मंदिर बनाम मिश्रा के वारिसान के खिलाफ बेदखली के आदेश पारित कर दिये। ऐसी स्थिति मे मूर्ति मंदिर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

बेदखली के दावे मे मिश्रा व उसके वारिसान को पक्षकार नही माना जा सकता है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने अपीलार्थीगण के दावे को रेसज्यूडिकेटा से बाधित होना मानकर खारिज करने मे कानूनी भूल की है। अदालत मातहत मे चतरू पुत्र मिश्रा व दीपक पुत्र पिल्लू व कमला बेवा पिल्लू तथा अपीलार्थी का पिता रामजीलाल भी मिश्रा का पुत्र है। लेकिन दावा दायरी के समय अपीलार्थी हंसराज मौजूद नही था इसलिए उसे बतौर वादी पक्षकार नही बनाया था उसे प्रफोर्मा रेस्पो0 बनाया गया था चूकि उक्त निर्णय से अपीलार्थी हंसराज के हित प्रभावित हो रहे है। इसलिए अपीलार्थी हंसराज द्वारा भी यह अपील संयुक्त रूप से पेश की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर दावे को पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद पत्र विधि विरूद्व तरीके से पेश किया गया था। क्योकि उक्त भूमि के संबंध मे वादीगण चतरू वगै0 के पूर्वज मिश्रया व अन्य के विरूद्व पूर्व मे ही प्रार्थी मूर्ति महोदव जी महाराज की ओर से एक दावा महादेव जी बनाम मिश्रया अतिकमिया को बेदखली प्रस्तुत किया था जो दिनांक 26.11.24 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित किया जा चुका है। उक्त प्रकरण मे वादीगण के पूर्वज पक्षकार रहे है जिनकी दौराने दावा मृत्यु हो जाने के कारण मिश्रया का नाम प्रकरण से हजाफ कर दिया गया था। तत्पश्चात वादी चतरू वगै0 की ओर से स्वयं को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र भी अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.7.24 को खारिज कर दिया गया था। मूल वाद संख्या 142/15 का निर्णय दिनांक 26.11.24 को हो जाने के पश्चात भी वादीगण द्वारा तथ्यो को छिपाकर गलत रूप से दावा पेश किया गया था। जिसका वादीगण को कोई अधिकार नही था। क्योकि उनके पूर्वज मिश्रया के विरूद्व पूर्व मे ही उपरोक्त वर्णित वांद निर्णित हो चुका था। इस प्रकार वादीगण को किसी प्रकार का वाद अधिकार नही था। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सीपीसी के प्रावधानो के तहत ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पत्र विधिक रूप से खारिज किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात के बाबत पूर्व मे अधिनस्थ न्यायालय मे वाद संख्या 142/2015 उनवानी मूर्ति मंदिर श्री महादेवजी विराजमान गंगापुर सिटी बनाम मिश्रया वगै0 का निर्णय 26.11.24 को हो चुका है जिसकी पुष्टि अपीलांट [illegible] त छाया प्रति निर्णय दिनांक 26.11.24 से होती है। उक्त प्रकरण संख्या [illegible] निषेधाज्ञा का था। जिसमे दौराने दावा मिश्रया के फौत होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसका नाम दावे से हजाफ किया गया इस तथ्य को उभयपक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया है साथ ही मिश्रया के वारिसं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

चतरू द्वारा प्रकरण संख्या 142/15 मे पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.7.24 को खारिज किया गया, इस तथ्य को भी उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा स्वीकृत किया गया है। अपीलाधीन प्रकरण घोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व प्रकरण संख्या 142/15 का हवाला देकर रेसज्यूडिकेटा से बाधित होना मानकर तथा वार्ड बाई लॉ माना जाकर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादीगण/अपीलांट का दावा खारिज किया गया है। जबकि दोनो प्रकरणों की रिलीफ अलग अलग है। प्रकरण संख्या 142/15 बेदखली का दावा था जबकि हस्तगत प्रकरण संख्या 94/24 दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है। कानूनन रेसज्यूडिकेटा ऐसे प्रकरणो पर लागू होता है जब समान पक्षकार हो, समान रिलीफ हो । उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि की प्रकिया का सही रूप से विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को दावे मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य ली जाकर तथा विधिक रूप से तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर विवेचन विश्लेषण किये जाने के उपरान्त पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना विधि सम्मत है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी के मु0नं0 94/24 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.2.25 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिवत रूप से तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर विवेचन विश्लेषण किये जाने के उपरान्त पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहॉ दिनांक 29.9.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner